



कार्यालय: मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
32, सिविल लाइन्स, मथुरा।

पत्रांक:- 1457 / म0वू0वि0प्रा0 / 2021-22

दिनांक 02-11-2021

श्री बन्दीनाथ कन्सल्टेशन,
प्रोपराइटर श्री राहुल सिंघल
पुत्र श्री शिवशंकर अग्रवाल
गुरुकृपा वाटिका, खसरा संख्या 216, 397(ग), 397(घ)
मौजा गोविन्दपुर, जिला मथुरा।

विषय:- मानचित्र/वाद संख्या 420/2019-20 के ऑनलाइन आवेदन संख्या MVDA/BP/
OCC/0002 में सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं तदर्थ पूर्णता प्रमाण पत्र उपर्युक्त विषयक आपके ऑनलाइन आवेदन संख्या MVDA/BP/OCC/0002 के सम्बन्ध में गुरु वाटिका कॉलौनी खसरा संख्या 216, 397(ग), 397(घ) मौजा गोविन्दपुर, जिला मथुरा पर विकसित योजना के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण पत्र का परीक्षण श्रीमती ऋचा कौशिक, नगर नियोजक एवं श्री सुनील कुमार अवर अभियन्ता, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है। जो प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्रशमन विन्यास मानचित्र के अनुसार ही पाया गया है, जिसकी स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदान की गयी है। अतः योजना में आन्तरिक विकास कार्य के सापेक्ष बन्धक रखे गये भूखण्ड संख्या ए-32, ए-33 एवं ए-34 कुल तीन भूखण्ड क्षेत्रफल 522.36 वर्गमीटर को अवमुक्त करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15क(2) के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

1. विकासकर्ता को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, मथुरा के दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
2. विकासकर्ता को रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को निरन्तर अनुरक्षण करते हुए सुचारु रखा जायेगा।
3. विकासकर्ता को कॉलौनी के रख-रखाव सम्बन्धित समस्त कार्य वेलफेयर एसोसिएशन बनाकर कॉलौनी को नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा को हस्तान्तरित करनी होगी एवं विद्युत सम्बन्धित कार्य विद्युत विभाग को हस्तान्तरित करना होगा।

(राजेश कुमार)

सचिव

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा।

